दिनांक 19.12.2011 को जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला चयन समिति, मुंगेर की अध्यक्षता में सम्पन्न अनुकम्पा के अधार पर जन वितरण प्रणाली के दुकान एवं ठेलाभेन्डर की अनुज्ञप्ति निर्गत हेतु जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थिति :-अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली के दुकान एवं ठेलाभेन्डर की अनुज्ञप्ति हेतु आहुत जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में निम्न पदाधिकारीगण उपस्थित हुए :-

1. जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. अपर समाहर्त्ता, मुंगेर।
3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर।
4. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर।
5. अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर।
6. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर।
7. ज़िला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर।

सर्व प्रथम अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी यथा संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त अभिलेख/अनुशंसा का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात मृत ठेला भेन्डर के अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर ठेला भेन्डर की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने सम्बन्धी एक मात्र मामला पर सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 3220 दिनांक 03.12.05 एवं विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 601 दिनांक 15.02.2007 तथा विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 5738 दिनांक 23.06.11 द्वारा प्राप्त सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश 2011 में वर्णित प्रावधान के आलोक में प्राप्त आवेदन पर विचार किया गया।

सार्वजनकि जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश 2011 के कंडिका-04 में वर्णित प्रावधान के आलोक में पचपन वर्ष की आयु के भीतर मृत निम्न अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर ठेला भेन्डर की अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गई।

क्र0	आवेदक का नाम	मृत ठेलाभेन्डर अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता का नाम / पता /अनुज्ञप्ति संख्या	आवेदक का मृत अनुज्ञप्तिधारी के साथ संबंध	विक्रेता मृत्यु की तिथि	आवेदक द्वारा आवेदन दायर करने की तिथि	अनुशंसा वर्ग/अनुमंडल का नाम
1	2	3	4			7
1.	रंजू देवी	स्व0 रामजी साह सा0-हेरू दियारा वार्ड नं0-43 जिला-मुंगेर अनुज्ञप्ति सं0-151/08	पत्नी	30.08.2010	10.01.2011	ठेला भेन्डर सदर मुंगेर अनुमंडल

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित अनुज्ञापन पदाधिकारी नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित हों ले कि आवेदक द्वारा समर्पित सभी काजगात वैध है तथा की जाने वाली नियुक्ति अद्यतन प्राप्त अधिसूचना/गजट के शर्तो के अधीन हैं। आवेदक को इस आशय का चरित्र प्रमाण-पत्र/कार्यापालक दण्डाधिकारी का शपथ पत्र समर्पित करना होगा कि उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई अपराधिक मुकदमा विचारधीन नहीं है, जिसमें उन्हे सजा मिलने की आशंका हो। नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संदर्भ में यह स्पष्ट रहेगा कि उनके द्वारा समर्पित कागजात गलत पाये जाने की स्थिति में इनकी अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है। साथ ही कानूनी कार्रवाई की जायेगी। अनुज्ञापन पदाधिकारी नई अनुज्ञप्ति में यह स्पष्ट कर देगे कि ऐसी नियुक्तियों में जो भी सरकारी निदेश है, उनका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जायेगा।

उपरोक्त प्राप्त आवेदन/अभिलेख संबंधित अनुमडल पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु वापस करने का निदेश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

29/12/11

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
जिला स्तरीय चयन समिति, मुंगेर।

ज्ञापांक 1085 /जि0आ0, दिनांक 30.12.2011

प्रतिलिपि : सभी अनुमंडल पदाधिकारी (मुंगेर जिला) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला स्तरीय चयन समिति के सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

29/12/11

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष
जिला स्तरीय चयन समिति, मुंगेर।

ज्ञापांक 1085 /जि0आ0, दिनांक 30.12.2011

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदधिकारी (NIC) मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/12/11

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष
जिला स्तरीय चयन समिति, मुंगेर।